प्रेस विज्ञप्ति
09.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सप्पा रामकृष्ण दास, तत्कालीन उप-रजिस्ट्रार, द्वारका नगर, विशाखापत्तनम और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 21.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।माननीय न्यायालय ने इसका संज्ञान ले लिया है।

ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो, आंध्र प्रदेश पुलिस, विशाखापत्तनम द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सपठित13(1)(ई) के तहत पंजीकृत प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। इसमें यह आरोप लगाया था कि सप्पा रामकृष्ण दास, एक लोक सेवक होने के नाते, अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अवैध और भ्रष्ट साधनों के माध्यम से 70.79 लाख की संपत्ति का अधिग्रहण किया था, जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन थे।इसके बाद, एसीबी, विशाखापत्तनम ने सीसी संख्या 40/2019 के माध्यम से एसीबी मामलों के तीसरे अपर जिला न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, विशाखापत्तनम के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। जांच के दौरान, एसीबी द्वारा सप्पा रामकृष्ण दास के खिलाफ 1.85 करोड़ (लगभग) रुपये की आय के अपने ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए 1.70 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल/अचल संपत्तियां कुर्क किए गए।

ईडी जांच से पता चला कि आंध्र प्रदेश सरकार के तहत विभिन्न पदों पर काम करते हुए एक लोक सेवक होने के नाते सप्पा रामकृष्ण दास ने अवैध साधनों से 1.8 करोड़ रुपये से अधिक

की अपराध की भारी आय अर्जित की थी, जिसका उपयोग उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर चल/अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में किया गया था, जिसमें सोने के गहने, भूखंड,आवासीय भवन, वाहन आदि शामिल हैं,जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत से अनुपातहीन थे।